न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2019	2019/00203	03–12–2019	07–04–2021

01– मैसर्स शैलजा ग्रिट्स उद्योग हरसोली रोड़, खैरथल जरिये राजकुमार पुत्र रामविलास डाटा निवासी खैरथल जिला अलवर राज0। **–अपीलान्ट**

बनाम

01– तहसीलदार किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0। **–रेस्पाडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढ़–बास का निर्णय दिनांक 26.05.1993 नामान्तकरण संख्या 2274 ग्राम खैरथल तह0 किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 26.05.1993 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 2274 ग्राम खैरथल तह0 किशनगढ़–बास जिला अलवर जिसे बेजा तौर विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल तह0 किशनगढ़–बास जिला अलवर राजस्थान अपीलांट राजकुमार डाटा पुत्र रामविलास डाटा निवासी खैरथल की खातेदारी की आराजी थी। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि में ग्रिट्स उद्योग स्थापित करना चाहता था जिसके लिए एक प्रा.पत्र भू–राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन) नियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवर के समक्ष पेश किया गया। जिला कलक्टर अलवर द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

फरमाया जाकर दिनांक 23.03.1993 को आदेश पारित किया। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 490 वर्गगज क्षेत्रफल राज्य सरकार को समर्पित मानते हुए शेष रकबा नियमानुसार रूपांतरण कर अपीलांट को आवंटित किया गया। जिसकी अपीलांट द्वारा नियमानुसार रूपांतरण फीस जमा करा दी गयी। जिला कलक्टर अलवर के आदेशों की अनुपालना में एक पट्टाभिलेख बहक अपीलांट राजकुमार डाटा पुत्र रामविलास डाटा मैसर्स शैलजा ग्रिट्स उद्योग खैरथल जिला अलवर दिनांक 27.10.1993 को निस्पादित किया गया। उक्त आवंटन ग्रिट्स उद्योग के लिए पट्टाकर्ता द्वारा 99 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया। जिसका लीज रेंट नियमानुसार अदा किया जाता रहा। उक्त आदेशों की अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ़–बास द्वारा इंतकाल संख्या 2274 दिनांक 26.05.1993 दर्ज कर स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी को सिवायचक दर्ज कर रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिया गया, जबकि माननीय जिला कलक्टर अलवर व लीज डीड के अनुसार उक्त रकबा ग्रिट्स उद्योग के लिए दर्ज किया जाना अपेक्षित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। गलत राजस्व रिकॉर्ड से अपीलांट के हकूक प्रभावित हुए है। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 20.11.2019 को हुई। विधिक सलाह लेने के बाद बिना देरी के अपील दायर की गयी है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पृथक से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.1993 नामान्तकरण संख्या 2274 वाके ग्राम खैरथल तह0 किशनगढ़–बास जिला अलवर को निरस्त किया जाकर उचित अनुतोष प्रदान किये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 26.05.1993 के विरूद्ध दिनांक 03.12.2019 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 26 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों को न्यायहित में स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि जिला कलक्टर महोद्य अलवर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 12–3( )राज/93/1782–87 दिनांक 23.03.1993 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा बंजड़ भूमि में से 490 वर्गगज क्षेत्र राज्य सरकार को समर्पित मानते हुए शेष रकबा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण आवंटित करने के आदेश प्रदान किये गये। श्रीमान् जिला –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

कलक्टर महोदय अलवर द्वारा उक्त आदेश में शर्त नं0 8 पर "प्रस्तावित स्टॉन ग्रिट्स यूनिट से कोई हानिकारक वेस्ट मेटेरियल डिस्चार्ज नहीं किया जायेगा तथा प्रौसेस से परिर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं किया जावेगा" अंकित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल सं0 2274 दिनांक 26.05.1993 दर्ज करते समय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय् अलवर के उक्त आदेश की विधिवत् प्रथम–दृष्ट्या अनुपालना नही की है। न्यायहित में प्रथमदृष्ट्या अनुपालना नहीं किये जाने से अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विद्वान अभिभाषको की बहस के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ़–बास को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित की जाती है कि जिला कलक्टर महोदय् अलवर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 12–3() राज/93/1782–87 दिनांक 23.03.1993 का नियमों के आलोक में परिशीलन कर विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें। निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

07/04/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)